

प्रेषक,

सचिव  
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक ०१ मार्च, 2021

विषय:


कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 26 फरवरी, 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या-1002 / USDMA / 792 (2020) TC दिनांक 29 जनवरी, 2021 के माध्यम से पूर्व में जारी किये गये दिशा-निर्देशों को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक यथावत रखा जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


भवदीय,

  
(एस० ए० मुरुगेशन)  
सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

  
(एस० ए० मुरुगेशन)  
सचिव